न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :—पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
133 / 2023	17.04.22023	09.12.2023

उनवान

1. पवन कुमार शर्मा पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासी कायसा तह0 नीमराना ।

:—वादी।

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

उपस्थिती:—

1. श्री मुकेश कुमार एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

—::निर्णय::—

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.हाल 137/0.61,1401/0.15, 1402/0.14, 1403/0.12, 1424/0.46, 1573/0.41, 246/0.97, 260/0.22, 390/0.32, 819/0.74, 1659/0.50 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना वादी को विरासत में प्राप्त हुई है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत इन्तकाल में वादी का नाम मुनीलाल पुत्र सरदारा गलत दर्ज कर दिया। जो गलत इन्द्राज हाल जमाबंदी मे दर्ज होता चला आ रहा है। हाल जमाबंदी मे वादी पवन कुमार पुत्र सरदारा के स्थान पर मुनीलाल पुत्र सरदारा गलत दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम पवन कुमार पुत्र सरदारा है वादी के आधार कार्ड, वोटर,पहचान पत्र परिवार राशनकार्ड, पैन कार्ड एंव ग्राम पंचायत कायसा के सरपंच की रिपोर्ट मे वादी का सही नाम पवनकुमार पुत्र सरदारा अंकित है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर सही नाम दर्ज किया जावें।
2. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:—
(क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की जारी की जावे कि आराजी ख.नं.हाल 137/0.61,1401/0.15, 1402/0.14, 1403/0.12, 1424/0.46, 1573/0.41 246/0.97, 260/0.22, 390/0.32, 819/0.74, 1659/0.50 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहॉ—जहॉ " मुनीलाल पुत्र सरदारा " दर्ज है उसे दुरूस्त किया जा कर उसके स्थान पर " पवन कुमार पुत्र सरदारा " दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावे एंव इसी अनुसान हाल राजस्व रिकार्ड मे वादीग का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमायें जावे।
(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।
(ग) दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाई जावे।
3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया कि वादी अपने वाद को स्वय सिद्व करें, यदि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

अधिकारी
(तली-बहरोड़)

4. वादी ने अपने वाद की पुष्टि मे स्वय का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01, तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2072—76 प्रदर्श 01, 02, जमाबंदी संवत 2061—64 प्रदर्श 03, नकल इंतकाल सं. 488 प्रदर्श 04, नकल नोटिस प्रदर्श 05

रसीद पो0ओ0 प्रदर्श 06, फोटो प्रति आधार कार्ड प्रदर्श 07 सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श 08, निर्वाचन पहचान पत्र प्रदर्श 09, पैन कार्ड प्रदर्श 10 पेश किये है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत कायसा के प्रमाण पत्र एंव वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद साबित है,वाद वादी डिक्री किए जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं.हाल 134/0.61,1401/0.15, 1402/0.14, 1403/0.12, 1424/0.46, 1573/0.41, 246/0.97, 260/0.22, 390/0.32, 819/0.74, 1659/0.50 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहा–जहा " मुनीलाल पुत्र सरदारा " दर्ज है उसे दुरूस्त किया जा कर उसके स्थान पर " पवन कुमार पुत्र सरदारा " दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को लोक अदालत मे मेरे द्वारा अंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

09-12-2023

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)